(20 रूपए के स्टाम पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

बन्ध–पत्र

उपस्थित सभी व्यक्ति इस दस्तावेज के संज्ञान से कि हम .... (पंजीकरण प्रमाण–पत्र में दिए अनुसार संगठन का नाम), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 दिनांक ..... के पंजीकरण संख्या ..... के तहत पंजीकृत (पंजीकरण प्राधिकारी का नाम व पता) संगठन हैं जिसका कार्यालय ....राज्य में .... में स्थित है (जिसे आगे अनुदानप्राप्तकर्ता कहा गया है), भारत के राष्ट्रपति (जिसे आगे सरकार कहा गया है) के नाम प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित ..... रू. (..... .....रूपए) की पूरी व वास्तविक राशि मांग पर ईमानदारी से राष्ट्रपति को अनुदानप्राप्तकर्ता तथा उसके उत्तराधिकारी द्वारा उक्त राशि लौटाने तक अप्रतिबंध रूप से तथा उपस्थित व्यक्तियों के साक्ष्य से प्रतिभू एवं बंधक है।

2. इस बंध–पत्र पर वर्ष दो हज़ार ..... में ..... के दिन ..... को हस्ताक्षर किए गए।

3. जबकि अनुदानप्राप्तकर्ता ने दिनांक ..... के अपने पत्र सं. .... के जरिए ..... रु. के अनुदान हेतु .... मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से सरकार को एक अनुरोध प्रस्ताव भेजा है, अनुदानप्राप्तकर्ता, सरकार को प्रस्तुत प्रस्ताव में किए गए अनुरोध के अनुसार .... रु. की समग्र राशि के संबंध में ..... मंत्रालय, भारत सरकार के नाम अग्रिम रूप से यह बन्ध–पत्र निष्पादित करने पर सहमत है। अनुदानप्राप्तकर्ता प्रस्तावित राशि या सरकार द्वारा अनुमोदित/संस्तुत किसी भी राशि को स्वीकार करने का इच्छुक है। अनुदानप्राप्तकर्ता संगठन इस शर्त के साथ प्रस्तावित राशि के इस बंध – पत्र को इच्छा पूर्वक निष्पादित कर रहा है कि अनुदानप्राप्तकर्ता, इस राशि तक या सरकार द्वारा अनुमोदित / मंजूर वास्तविक राशि, जो भी कम हो, द्वारा बाध्य होगा। अनुदानप्राप्तकर्ता, सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले ''संस्तुति–पत्र'' में उल्लिखित सभी शर्तों एवं निबंधनों को भी इच्छा से स्वीकार करता है।

4. अब उक्त लिखित बाध्यता की शर्त ऐसी है कि यदि अनुदानप्राप्तकर्ता अनुदान–पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को विधिवत् रूप से पूरा करता है और उनका अनुपालन करता है तो उक्त लिखित बंध–पत्र की बाध्यता अप्रभावी होगी। परन्तु अन्यथा स्थिति में यह बाध्यता पूर्णतः प्रभावी एवं विद्यमान रहेगी। यदि उस अवधि के भीतर, जिसमें अनुदान का उपयोग किया जाना अपेक्षित है, के समाप्त होने के बाद अनुदान का कोई भाग अप्रयुक्त रह जाता है तो अनुदानप्राप्तकर्ता प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ब्याज की दर से अप्रयुक्त शेष राशि लौटाने पर सहमत है जब तक कि संस्तुत प्राधिकारी, अनुदान की उक्त राशि को आगामी

वित्त वर्ष में अग्रेषित करने पर सहमत न हों। अनुदान की राशि, उस पर अर्जित ब्याज सहित वापिस की जाएगी।

5. सोसायटी/न्यास, मुख्यतः सरकारी अनुदान से सृजित/अधिग्रहीत/निर्मित सम्पत्ति/भवन या अन्य परिसम्पत्तियों के अनधिकृत उपयोग (जैसे उस प्रयोजन से इतर ऐसे किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त धन या उससे कम हेतु परिसर को किराए पर देने या उसका उपयोग करना जिसके लिए अनुदान अभिप्रेत था) से प्राप्त या उत्पन्न होने वाले/प्राप्त किए गए या उत्पन्न किए गए ऐसे सभी धन या अन्य लाभ की वित्तीय राशि को सरकार को लौटाने/अदा करने पर सहमत तथा वचनबद्ध है। संस्कृति मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार या संबंधित विभाग के प्रशासनिक अध्यक्ष का निर्णय, सरकार को वापिस / अदा किए जाने हेतु उक्त धन से संबंधित सभी मामलों के बारे में अंतिम होगा और यह सोसायटी/न्यास के लिए बाध्यकारी होगा।

6. अनुदानप्राप्तकर्ता की कार्यकारी समिति के सदस्य :

(क) संस्तुति–पत्र में विनिर्दिष्ट लक्षित तारीखों के संबंध में सहायता अनुदान की शर्तों का पालन करेंगे।

(ख) अनुदान की राशि का उपयोग अन्यत्र, अन्य संस्थान या संगठनों के लिए नहीं करेंगे या संबंधित स्कीम या कार्य के निष्पादन को उक्त संस्थान या संगठन को नहीं सौंपेंगे।

(ग) सहायता अनुदान को शासित करने वाले करार में विनिर्दिष्ट अन्य किसी शर्त का पालन करेंगे।

यदि अनुदानप्राप्तकर्ता, बन्ध–पत्र की शर्तों का पालन नहीं करता है या शर्तों का उल्लंघन करता है तो, बन्ध–पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता संयुक्त रूप से और अलग से समग्र अनुदान या उसके भाग को 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भारत के राष्ट्रपति को लौटाने के लिए बाध्य होंगे। इस बंध–पत्र पर संदेय स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

7. प्रस्तुत दस्तावेज़ इस बात के भी साक्ष्य हैं कि :

(1) इस संबंध में ---------मंत्रालय,------- विभाग, भारत सरकार के सचिव का निर्णय अंतिम होगा तथा अनुदानप्राप्तकर्ता पर बाध्य होगा कि क्या संस्तुति–पत्र में उल्लिखित किसी शर्त और निबंधन को भंग किया गया है या उसका उल्लंघन किया गया है; और इन दस्तावेज़ों पर संदेय स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

इस साक्ष्य में कि इन दस्तावेज़ों को निम्नानुसार अनुदानप्राप्तकर्त्ता की ओर से और अनुदानप्राप्तकर्ता के शासी निकाय द्वारा पारित दिनांक ..... के संकल्प

संख्या ..... के अनुसरण में उक्त उल्लिखित तारीख को निष्पादित किया गया है जिसकी एक प्रतिलिपि अनुबंध ख के रूप में संलग्न है।

( )
कृते एवं की ओर से

अनुदानप्राप्तकर्ता का नाम (यथा पंजीकृत अनुदानप्राप्तकर्ता एसोसिएशन का नाम)

पूरा डाक पता ..... टेलीफोन नं./मोबाइल नम्बर .....

ई–मेल पता (यदि कोई हो)
फैक्स नम्बर

1. एसोसिएशन की पंजीकरण संख्या ...
2. पंजीकरण की तारीख .....
3. पंजीकरण प्राधिकारी .....
4. पंजीकरण प्राधिकारी डाक पता
5. पंजीकरण प्राधिकारी का टेलीफोन नं.

(की उपस्थिति में) साक्ष्य का नाम, पता और हस्ताक्षर

(i)
(ii)

(हस्ताक्षर) .....
भारत के राष्ट्रपति और उनकी ओर से स्वीकार किया गया
पदनाम .....
दिनांक .....
नाम एवं पता .....